

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/22	212 RTA	त्रिफनिया	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
हरिशंकर	बनाम	बनवारी वगैरा	

वकील :- अशोक मेहता एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
25 ² / ₂₂	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.04.2022 को पेश हो।	
04 ⁰⁴ / ₂₂	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/5/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
23 ⁵ / ₂₂	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/5/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
11 ⁷ / ₂₂	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/8/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
22 ⁸ / ₂₂	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/9/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

27 ⁹/₂₂

न्यायाधीश अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.11.22 को पेश हो।

सेक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

22 ¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने नमल जमावदी की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। आगामी पेशी पर नमल जमावदी की प्रमाणित प्रति पेश नहीं करने पर प्रकरण इसी स्तर पर कार्रवाई कर दिया जावेगा। वास्ते प्रमाणित प्रति पत्रावली दिनांक 01/12/2023 को पेश हो।

03 ⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने नमल जमावदी प्रमाणित प्रति पेश नहीं। ब्याजहित से कतिपय इवन्ट डिफा जमा है। पत्रावली वास्ते प्रमाणित प्रति दिनांक 8/2/23 को पेश हो।

8 ²/₂₃

न्यायाधीश अधिकारी के ^{स्थानांतरण} अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 10/11/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

10 ⁴/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व प्रार्थी को तीन बार भोजन लगावई गई। कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण अटक हाजरी अटक पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाने शुमार डायरी दायरे में है।